कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0)

दुरभाष क्रमांक–077712–299055 Email- collector-mcb@cg.gov.in

//आदेश//

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 07/04/2026

क्रमांक/1417/वाचक/अप.कले./2025 :: कार्यालय नजूल तहसीलदार मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के जॉच प्रतिवेदन क्रमांक 1366/वाचक/2026 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 07.04.2026 द्वारा सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ के संयुक्त रूप से प्राथमिक शाला बाला, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ तहसील केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर का औचक निरीक्षण करने पर प्राथमिक शाला मे पदस्थ श्री मेहीलाल सिंह, सहायक शिक्षक द्वारा कर्तव्य अवधि के दौरान मद्यपान का सेवन किया जाना पाया गया। श्री मेहीलाल सिंह, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बाला, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ तहसील केल्हारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत होने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 मे दिये गये प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

अतएव श्री मेहीलाल सिंह, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बाला, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ तहसील केल्हारी का निलंबन अवधि मे मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

पत्र पृ0क्रमांक 1418 /वाचक/अप.कले./2026 — मनेन्द्रगढ़, दिनांक 07.04.2026

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की ओर सूचनार्थ।
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री मेहीलाल सिंह, सहायक शिक्षक शाला बाला विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ तहसील केल्हारी की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)